

51/2012 मनीष कुमार शर्मा

दिनांक

27.11.19

पुनः अपील के लिए न्यायाधीशों के समक्ष पेश की गई है। पेशा क्र. 10/1/2012  
पेशा है।  
पेशा है।



8-1-20

पत्रावली पेशवा वकील अर्म्मेंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैफरेंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आया रिपोर्ट द्वारा अर्म्मेंट में रैफरेंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे पता चलता है कि अर्म्मेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।

पेशा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर- (कैम्प बुन्दुन)